

संदर्भ संख्या:

प्लेक्स/सर्किल/ 1171

24/03/2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: सदस्यों के सुझावों के संबंध में - कार्यान्वयन के लिए राजपत्र अधिसूचना पर विशिष्ट विचार (पांच उत्पाद) ।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के कार्यालय ने वर्चुअल मोड में पेट्रोकेमिकल्स के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में हितधारक परामर्श निर्धारित किया है। इस परामर्श में उपभोक्ता और उत्पादकों सहित दोनों उद्योग संघ शामिल होंगे, ताकि राजपत्र अधिसूचना के लिए घरेलू क्षमता, उत्पादन, आयात और निर्यात पर डेटा के साथ-साथ विशिष्ट टिप्पणियाँ एकत्र की जा सकें, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित मानकों को अनिवार्य बनाना है।

भारतीय मानकों की सूची निम्नानुसार देखी जा सकती है:

S.No.	उत्पादों	आईएस कोड	क्षमता	उत्पादन	आयात	निर्यात	विशिष्ट विचार / टिप्पणी
1	पॉलीइथिलीन पैकेजिंग तरल दूध के लिए पाउच	आईएस 11805:2024					
2	पॉलीथीन टेरेफ्थैलेट (पीईटी) बोतलों के लिए						

	की पैकिंग खाने योग्य तेल	आईएस 12887:1989					
3	लचीला पैकेजिंग के लिए सामग्री की पैकेजिंग खाद्य तेल, घी और वनस्पति	आईएस 14636:1998					
4	प्लास्टिक की बोतलें पोर्टेबल जल के लिए	आईएस 8688:1988					
5	कंटेनरों के लिए की पैकेजिंग प्राकृतिक खनिज जल और पैकिंग पीने का पानी	आईएस 15410:2003					

उपरोक्त के मद्देनजर, सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त भारतीय मानकों की क्षमता, उत्पादन, आयात और निर्यात के आंकड़े, कार्यान्वयन के लिए राजपत्र अधिसूचना पर विशिष्ट विचारों के साथ, 31 मार्च 2025 तक bharti@plexconcil.org और anirudha@plexconcil.org पर उपलब्ध कराएं।

भारतीय मानकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद